संख्या– /XVIII(1)/2011–1(1)/2011

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 03 मई, 2011

**विषयः–तहसील श्रीनगर में तहसीलदार व नायब तहसीलदार के आवासीय भवनों तथा पूछताछ कक्ष के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1087/9–प्र0ना0–(2009–10) दिनांक 07 मार्च, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि प्रश्नगत कार्य हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन लागत रू0 0.81 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परिक्षणोंपरान्त रू0 0.76 लाख की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गयी आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू0 76,000/–(रू0 छियत्तर हजार) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

2. कार्य करने पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

6. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

7. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त व्यय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय–60–अन्यभवन–आयोजनागत–00–051–निर्माण–03–तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्यो के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–25P/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/2011 दिनांक 26 मई, 2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव

संख्या– 362 (1)/XVIII(1)/2011 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव